

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉंची/हजारीबाग/यॉ०
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉंची, दिनांक : 23/08/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 20 कार्यालयों को विभिन्न मदों में
कुल रु 275.685 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख अठसठ हजार पाँच सौ मात्र) राशि आवंटित
करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया
जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	275.685

कुल आवंटित राशि - रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख अठसठ हजार पाँच सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु 11486.06 लाख (एक सौ चौदाह करोड़ छियासी लाख छः हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि.15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

19/08/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 89

रॉची, दिनांक :- 23/08/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिन्नीरॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/सिमडेगा/हजारीबाग/मधुपुर/गुमला/चाईबासा/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

19/08/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 89

रॉची, दिनांक :- 23/08/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, ज ल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

19/08/21
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

19/08/21
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

19/08/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 88 दिनांक: 23/01/21 का अनुदानक

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलएटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं सस्मति	विशिष्ट प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति			
0																		
1	मुख्य अभि. अभि. योजना, सौधी	विषय कोड	49S2701030010 70101	49S27010300 1070110	49S270103001 070112	49S270103001 1070213	49S270103001 070315	49S270103001 1070316	49S270103001 070323	49S27010300 1070333	49S27010300 1070334	49S27010300 1070337	49S270103001 070442	49S270103001 070760	16	17		
1	मुख्य अभि. अभि. योजना, सौधी	पूर्व का आवंटन	22.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.500	0.000	0.000	23.300			
		अतिरिक्त आवंटन	6.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.400	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	7.450			
		कुल आवंटन	28.000	0.000	0.000	0.300	0.900	0.000	0.400	0.150	0.000	0.000	1.000	0.000	30.750			
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	पूर्व का आवंटन	120.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	121.300			
		अतिरिक्त आवंटन	20.000	0.000	0.000	0.300	0.500	0.000	0.400	0.200	0.000	0.000	0.800	0.000	22.200	*		
		कुल आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.600	0.900	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	1.300	0.000	143.500			
3	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सौधी	पूर्व का आवंटन	158.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	159.300			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.500	0.800	0.700	0.000	0.400	0.200	0.000	0.000	0.800	0.100	3.500			
		कुल आवंटन	158.000	0.000	0.500	1.100	1.100	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	1.300	0.100	162.800			
4	मुख्य अभि. यांत्रिक, सौधी	पूर्व का आवंटन	28.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	29.200			
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.100	0.000	0.700	0.000	0.400	0.200	0.000	0.000	0.800	0.000	17.200			
		कुल आवंटन	43.000	0.000	0.100	0.200	1.100	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	1.300	0.000	46.400			
5	अग्रिम योजना अंचल सौधी	पूर्व का आवंटन	20.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	20.900			
		अतिरिक्त आवंटन	2.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	3.100			
		कुल आवंटन	22.500	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	24.000			
6	जलपथ अंचल, बार्हगावा	पूर्व का आवंटन	147.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	148.000			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.300	0.200	0.500	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.300	0.100	1.700			
		कुल आवंटन	147.000	0.000	0.300	0.400	0.800	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.700	0.100	149.700			
7	जलपथ अंचल, सौधी	पूर्व का आवंटन	160.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	161.000			
		अतिरिक्त आवंटन	50.000	0.000	0.000	0.300	0.500	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.600	0.100	51.800			
		कुल आवंटन	210.000	0.000	0.000	0.500	0.800	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	1.000	0.100	212.800			
8	जलपथ अंचल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	125.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	126.000			
		अतिरिक्त आवंटन	32.820	0.000	0.300	0.800	0.500	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.300	0.000	34.970			
		कुल आवंटन	157.820	0.000	0.300	1.000	0.800	0.000	0.150	0.200	0.000	0.000	0.700	0.000	160.970			

(सचिव प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रसाद कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं नशें			विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एल0डी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरू, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बंदी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं परमाति	विविध प्रकार	कुल योग	अभियुक्ति					
0	कार्यालय का नाम	विद्युत कोड	48S2701030010 70101	48S27010300 1070110	48S270103001 070112	48S27010300 1070213	48S270103001 070315	48S27010300 1070316	48S270103001 070323	48S27010300 1070333	48S27010300 1070334	48S27010300 1070337	48S270103001 070442	48S270103001 070760	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
9	सिवाई यांत्रिक अंचल ,रोबी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	18.000 8.500 26.500	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.200	0.300 0.500 0.800	0.000 0.000 0.000	0.000 0.250 0.250	0.000 0.100 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.400	0.000 0.000 0.000	19.000 9.250 28.250							
10	अधिन योजना प्र0, रोबी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	120.000 35.000 155.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.100 0.100	0.200 0.350 0.600	0.000 0.000 0.000	0.000 0.150 0.150	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	120.500 35.600 156.100							
11	जलपथ प्रमंडल सं.-2,बैनपुर गुमला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	128.000 0.000 128.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.150 0.150	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	128.500 1.000 129.500							
12	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	238.000 0.000 238.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.250 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.150	0.000 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	238.750 2.000 240.750							
13	पुनर्वास पदाधिकारी, देवघर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	67.000 0.000 67.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	67.450 0.100 67.550							
14	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिवाई परियोजना, रोबी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	108.000 0.000 108.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	108.800 0.450 109.250							
15	पुनर्वासी स्थीलवे प्रमंडल, पुनर्वासी देवघर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	245.000 0.000 245.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	245.500 0.100 245.600							
16	विशेष मू.-अर्जन पदा0, रोबी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	202.000 20.000 222.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.150 0.150	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	202.800 20.800 223.600							
17	सिवाई प्रमंडल, दुमका	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	240.000 0.000 240.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	240.500 0.450 240.950							
18	सिवाई प्रमंडल, सिकटिया	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	182.000 15.000 197.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.050 0.250	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.150 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	182.450 15.750 198.200							

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रघुनाथ प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र.सं 0	वित्तीय वर्ष 2021-2022	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलएटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बत्ती	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रकार					
कार्यालय का नाम		विपन्न कोड	49S2701030010 70101	49S270103001 1070110	49S270103001 070112	49S270103001 1070213	49S270103001 070315	49S270103001 1070316	49S270103001 070323	49S270103001 1070333	49S270103001 1070334	49S270103001 1070337	49S270103001 070442	49S270103001 070760	कुल योग	अभियुक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
19	सिवाई प्रमंडल, सं०-1, बरहट	पूर्व का आवंटन	119.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	119.450			
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.700	0.500	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.615	2.065			
		कुल आवंटन	119.000	0.000	0.000	0.900	0.750	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.615	121.515			
20	सिवाई यात्रिक प्रमंडल, सेवा	पूर्व का आवंटन	193.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	193.800			
		अतिरिक्त आवंटन	45.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	46.200			
		कुल आवंटन	238.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	0.800	0.000	240.000	*		
	अतिरिक्त आवंटन का योग		249.820	0.000	1.300	3.350	7.950	0.000	3.400	1.050	0.000	0.000	5.200	3.615	275.685			

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख अड़सठ हजार पाँच सौ मात्र

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रघुम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

(प्रशांत कुमार)
सचिव